

\*प्रेस नोट\*

**\*गैंगेस्टर के अपराधी किशन बिन्द द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लेण्डर संख्या यूपी-65 सीजेड-6962 जिसकी कीमत लगभग रु0-50,000/- है, को धारा-14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।\***

थाना मिर्जामुराद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-338/19 धारा 3{1} गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त किशन बिंद पुत्र कैलाश बिंद निवासी बेहड़वा थाना मिर्जामुराद वाराणसी एक शातिर अपराधी है। किशन बिंद अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने आपराधिक कृत्यों से अपने गैंग के सदस्यों, परिवारीजनों को भौतिक एवं आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु अपराध कारित करने का अभ्यस्त एवं पेशेवर अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति से अपने भाई अजय के नाम से खरीदी गई हीरो होण्डा सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल संख्या: यूपी-65 सीजेड-6962 जिसकी कीमत लगभग रु0-50,000/- है, को माननीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 19-09-2020 को प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद श्री सुनील दत्त दुबे मय हमराह पुलिस बल के उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मोटरसाइकिल की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 20.09.20 को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध खनन के तहत बालू एवं गिट्टी भरे आठ ट्रक, जो फर्जी एवं कूटरचित नम्बर प्लेट का प्रयोग कर बगैर अनुमति के शहर के अन्दर प्रवेश करते हुए 06 नफर अभियुक्तों को पकड़ा गया तथा 02 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गये। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा बरामद ट्रकों में फर्जी/कूटरचित नम्बर प्लेट लगाने के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पर मु0अ0सं0 **278/2020 धारा 419/420/467/468/471/386 भादवि0** पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 01.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

1. कोलवास यादव पुत्र शकलदेव यादव नि0 दामोदरपुर थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष,
2. रामसमूझ यादव पुत्र बालचन्द यादव नि0 बड़ागाँव थाना सराय लखंशी जनपद मऊ उम्र करीब 53 वर्ष
3. कुँजन राजभर पुत्र राजकुमार नि0 बल्लीपुर थाना चुनार जिला मिर्जापुर उम्र करीब 30 वर्ष
4. सिकन्दर यादव पुत्र रामबली नि0 केराकत टाउन थाना केराकत जनपद जौनपुर, उम्र करीब 35 वर्ष
5. लाल बहादुर यादव पुत्र रामसनेही यादव नि0 कनुवानी थाना केराकत जनपद जौनपुर, उम्र करीब 45 वर्ष
6. असलम पुत्र ताहिर सुसैन नि0 महुआरी रार्वटसगंज थाना रार्वटगंज जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 30 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण-\***

**\*सही नं0 प्लेट\***

1. UP63AT5189
2. UP61T9327
3. UP54AT2926
4. UP63AT4366
5. UP65FT9976
6. UP65GT8238
7. UP65GT3238
8. UP63AT5295

**\*फर्जी नं0 प्लेट\***

- UP65FT4217
- UP65FT4217
- UP65DT9763
- UP65FT4217
- UP65GT9763
- UP65HT3342
- UP65NT3342
- UP65BT8098

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र राम प्रजापति, उ0नि0 राजेश त्रिपाठी, उ0नि0 लवकुश यादव, का0 4571 बुद्धप्रिय गौतम, का01926 मोहित मीणा व का0 चालक मैनेजर सिंह चौहान थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



**\*प्रेस नोट\***

**थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा शांतिर लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद लूट का मोबाईल फोन बरामद।**

आज दिनांक 20.09.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर के उ0नि0 श्री राहुल रंजन चौकी प्रभारी पहड़िया मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे कि इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0 0095/20 अन्तर्गत धारा-394 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त गिरिराज प्रसाद पुत्र मंहगू राम खेरवार निवासी बहरि, पो0- पतरई, थाना चंदवक, जौनपुर पाण्डेयपुर चौराहा पर मौजूद हैं, यदि जल्दी क्रिया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के पाण्डेयपुर चौराहे पर पहुँचकर मुखबिर के इशारे पर अभियुक्त गिरिराज प्रसाद को पकड़ लिया गया। जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से लूट का 01 अदद मोबाईल फोन बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ विवरण-\***

पूछताछ के दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 18-08-2020 को रिंग रोड़ ऐंढे के पास मैं व अपने साथी मनीष यादव पुत्र स्व0 अभिमन्यु यादव निवासी बहरि, पो0-पतरई, थाना चंदवक, केराकत, जौनपुर व एक अन्य तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति को चोट पहुँचकर मोबाईल छीन लिया था। यह वही मोबाईल है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

➤ गिरिराज प्रसाद S/O मंहगू राम खेरवार R/O बहरि, पो0- पतरई, थाना चंदवक, जौनपुर।

**\*बरामदगी का विवरण-\***

➤ लूट का 01 अदद मोबाईल फोन।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

➤ उ0नि0 श्री राहुल रंजन चौकी प्रभारी पहड़िया, उ0नि0 श्री संतोष यादव चौकी प्रभारी लालपुर व का0 संतोष वर्मा थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 164/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 20/2020

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19-09-2020 को प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद श्री सुनील दत्त दूबे द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान ग्राम भड़ेहरा स्थित शिव मंदिर से चोरी करते हुए 02 चोरों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी का घण्टा, लोटा व अन्य सामान सहित चोरी करने के उपकरण (ताला तोड़ने की लोहे की नुकीली सुम्मी, कुल्हाड़ी) आदि बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 236/2020 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तगण नन्दू पुत्र स्व0 सूरत मुसहर व डाक्टर पुत्र स्व0 कट्टू मुसहर को समय करीब 23.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1. नन्दू पुत्र स्व0 सूरत मुसहर निवासी ग्राम चित्रसेनपुर थाना मिर्जामुराद, वाराणसी उम्र करीब-21 वर्ष।
2. डाक्टर पुत्र स्व0 कट्टू निवासी ग्राम चित्रसेनपुर थाना मिर्जामुराद, वाराणसी उम्र-करीब-30 वर्ष।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 02 अदद घण्टा, 02 अदद लोटा और व नुकीली सुम्मी लगभग एक फुट लम्बी और एक कुल्हाड़ी

## \*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

1. प्र०नि० मिर्जामुराद, श्री सुनील दत्त दुबे, उ०नि० राजेश कुमार यादव, का० रामप्रताप व का० पृथ्वीराज कुशवाहा थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 165/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 20/2020

### \*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 20-09-2020 को थाना चोलापुर के उ०नि० अनुराग मिश्रा मय हमराह पुलिस बल देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे कि इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 19-09-2020 को जमीन के एवज में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगे जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-382/20 धारा 386/406/419/420/447/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील पटेल पुत्र सोहन राम पटेल निवासी ग्राम भटपुरवाखुर्द थाना चोलापुर वाराणसी, पलही पट्टी चौराहे पर मौजूद है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उ०नि० अनुराग मिश्रा द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए पलहीपट्टी चौराहे के पास पहुँचकर अभियुक्त सुनील पटेल उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सुनील पटेल पुत्र सोहन राम पटेल निवासी ग्राम भटपुरवाखुर्द थाना चोलापुर वाराणसी उम्र-35 वर्ष।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ०नि० अनुराग मिश्रा, का० यादवेन्द्र कुशवाहा व का० गौतम कुमार सोनकर थाना चोलापुर वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*प्रेस नोट\***

आज दिनांक 20.09.2020 को थाना जैतपुरा के उ0नि0 मो0 अकरम द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0स0-171/20 धारा-498ए /304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण के घर अमरपुर मढ़िया में दबिश देकर अभियुक्तगण मो0 इमरान, मो0 आबिद व मो0 रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

1. मो. इमरान पुत्र मो. आबिद निवासी ए 40/31बी -5-के अमरपुर मढ़िया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी
2. मो. आबिद पुत्र स्व. रहमत अली निवासी ए 40/31बी -5-के अमरपुर मढ़िया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।
3. मो. रिजवान पुत्र मो. आबिद निवासी ए 40/31बी -5-के अमरपुर मढ़िया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

➤ उ.नि. श्री मो. अकरम, का. ओम प्रकाश व का. पप्पू कुमार शाह थाना जैतपुरा, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 167/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 20/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 20-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*116 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 2032 वाहनों का चालान, 33 वाहनों को सीज तथा 65 वाहनों से रु0-53,800/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 20-09-2020 को

जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये \*कुल 1169 व्यक्तियों से रु0-63,350/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।